पत्रांक / जी0एस0टी0 / 2017–18 555 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊः: दिनांकः: 18 अगस्त,2017

1– **समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,**

2– **समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0 / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,**

3– **समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), उत्तर प्रदेश,**

4– **समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,**

विषय– जी0एस0टी0 में नए पंजीयन बढ़ाने के सम्बन्ध में।

जी0एस0टी0 में वस्तु एवं सेवा के अनेक नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अतः आवश्यक है कि जी0एस0टी0 में शामिल वस्तु एवं सेवा कर के नवीन क्षेत्रों के व्यापारियों को पंजीयन कराते हुए टैक्सबेस बढ़ाया जाए। वस्तुओं के क्षेत्र में चीनी, कपड़ा, एग्रीकल्चर इम्पीलीमेन्ट व साईकिल व साईकिल पार्ट जैसे अनेक व्यापारियों को अभियान चलाते हुए पंजीकृत कराने की आवश्यकता है जिससे टैक्सबेस बढ़ने के साथ–साथ संग्रह के लक्ष्यों की प्राप्त हो सके। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में भी अनेक ऐसी सेवायें है जिनका उल्लेख प्रस्तर–3 में किया गया जिन्हें पंजीकृत कराने हेतु प्रयास किया जाना अपेक्षित है। अतः वित्तीय वर्ष–2017–18 की अवशेष अवधि हेतु जोनवार पंजीयन लक्ष्य का निर्धारण जोन के क्षमता को देखते हुए किया जा रहा है (संलग्न)। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न प्रयास सुनिश्चित किए जाए:–

1– प्रत्येक जोन में माह अगस्त में एक मेगा पंजीयन कैंप का आयोजन कराया जाए। जिस हेतु व्यापार संघों, अधिवक्ताओं व व्यापारियों के बीच मीडिया व अन्य माध्यमों से अन्य प्रचार–प्रसार कराया जाए। कैम्प में इच्छुक व्यापारियों को तत्काल पंजीयन हेतु इन्टरनेट आदि की सुविधा भी दी जाए। इस कैम्प को प्रभारी के रूप में जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 / ज्वाइन्ट कमिश्नर स्तर के अधिकारियों को नामित किया जाएगा। नामित अधिकारी द्वारा कैम्प में पंजीकृत व्यापारियों की सूचना अगले कार्य दिवस में जी0एस0टी0 अनुभाग को उपलब्ध करायी जाएगी। यह कैम्प जोन के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक जनपद एवं तहसील मुख्यालय पर आयोजित किया जायेगा।

2– प्रत्येक खण्ड के स्तर पर ई–चौपाल का आयोजन प्रत्येक सप्ताह खण्ड के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। जिसमें व्यापारियों को पंजीकृत कराने हेतु जागरूक करते हुए पंजीयन कराया जाएगा। ई–चौपाल के आयोजन का पर्यवेक्षण ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्या0) द्वारा अपने सम्भाग में किया जायेगा। जिसकी साप्ताहिक सूचना प्रत्येक सोमवार को प्रेषित की जाएगी। इस ई–चौपाल में पंजीयन फार्म भरने एवं पंजीयन के लाभ आदि के सम्बन्ध में पावर पाइन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से व्यापारियों को जागरूक किया जायेगा। प्रेजेन्टेशन की प्रति ई–मेल info.up.gst@gmail.com व whatsapp group(gst single point contact No.9452684330) पर भी प्रेषित की जाए।